



**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/ATY-1925/DL/8/2024-APCR-RU-IV

दिनांक :19.02.2025

सेवा में,

**पुलिस आयुक्त,**  
दिल्ली पुलिस,  
पुलिस आयुक्त कार्यालय, दिल्ली  
पुलिस मुख्यालय,  
जय सिंह रोड, नई दिल्ली, 110001  
Email Id: [cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in](mailto:cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in)

विषय: पड़ोसी द्वारा जातिसूचक गाली गलौज करना, पानी गिराना, धमकाना, उन्हें वहां से भगा देने की धमकी देना तथा विभिन्न अन्य प्रकार से प्रताड़ना के संदर्भ में सुश्री रामकली, 8/14, अस्पताल सड़क, बीरबल पार्क के नजदीक, जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली की दिनांक 04.09.2024 की शिकायत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई/की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

  
(एच.आर.मीना/H.R.Meena)  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि

सुश्री रामकली,  
8/14, अस्पताल सड़क,  
बीरबल पार्क के नजदीक,  
जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली -110014

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-1925/DL/8/2024-APCR

पड़ोसी द्वारा जाति सूचक गाली गलौज करना, पानी गिराना, धमकाना, उन्हें वहां से भगा देने की धमकी देना तथा विभिन्न अन्य प्रकार के प्रताड़ना के संदर्भ में श्रीमति रामकली, 8/14 हॉस्पिटल रोड, जंगपुरा एक्स., नयी दिल्ली की शिकायत में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 31.01.2025 को हुई सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 31.01.2025 को 12:45 बजे  
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-1 के अनुसार।

मामले में आयोग को 04.09.2024 को श्रीमति रामकली द्वारा प्राप्त एक शिकायत पत्र में बताया गया कि वे 8/14 अस्पताल सड़क, बीरबल पार्क के नजदीक, जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली की निवासी हैं। उनके पड़ोसी द्वारा उन्हें जातिसूचक गालियाँ दी जाती हैं, उनके घर के बाहर टैंकर का पानी बहा दिया जाता है, उन्हें वहां से भाग जाने की धमकी दी जाती है, और यह कहकर कि उनके पास पुलिस में संपर्क है, उन्हें झूठे मामलों में फंसा देने की धमकी दी जाती है। इस बाबत जब उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत की, तो वहां से उन्हें घर गिराने की धमकी देकर भगा दिया गया और उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब वे आयोग से न्याय की मांग कर रही हैं।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को नोटिस दिनांक 08.10.2024 भेजा गया।

3. आयोग के नोटिस के सन्दर्भ में उत्तर / रिपोर्ट संतोषजनक न प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 31.01.2025 को सिटिंग/सुनवाई तय की गई तदनुसार सम्बंधित प्राधिकारियों को सिटिंग/सुनवाई नोटिस जारी किए गए।

4. सुनवाई के दौरान पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस की ओर से संयुक्त पुलिस आयुक्त, एंव उप पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस आयोग के समक्ष उपस्थित रहे। शिकायतकर्ता भी उपस्थित हुए।

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती हैं :-

- मामले में डी.डी. एंटी की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जब दोनों सब इंस्पेक्टर शिकायतकर्ता से मिलने गए थे।
- शिकायतकर्ता के गेट की तरफ फेसिंग वाले सी.सी.टी.वी कैमरे की दिशा में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि इसमें शिकायतकर्ता की सहमति नहीं है।
- आयोग को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट दिनांक 05.12.2024 का पुनः अवलोकन कर समस्त तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.03.2025 को हुई सुनवाई के निर्णय के बाद ही आयोग में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

आशा लकड़ा  
12/02/2024  
(डॉ. आशा लकड़ा)




सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra  
सदस्य/Member  
भारत सरकार/Government of India  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet  
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1925/DL/8/2024-APCR

Sitting to be held on 31.01.2025 at 12:45 P.M- पड़ोसी द्वारा जातिसूचक गाली गलौज करना, पानी गिराना, धमकाना, उन्हें वहां से भगा देने की धमकी देना तथा विभिन्न अन्य प्रकार से प्रताड़ना के संदर्भ में सुश्री रामकली, 8/14, अस्पताल सड़क, बीरबल पार्क के नजदीक, जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली की दिनांक 04.09.2024 की शिकायत।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	<b>National Commission for Scheduled Tribes</b>		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Surat Singh Director		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
3.	Shri Rahul Investigator		
4.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
5.			
6.			
II	<b>Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police</b>		
1.	S.K. Jain Jt CP   Southern Range Delhi Police.	Jt CP/Office, SR Kangrahas Delhi	
2.	Ravi Kumar Singh	DCL-SE D	
3.	PANISAD KUMAR	SMO/H.N.O. Bm	
III	<b>Petitioners</b>		
1.	Ramkali		
2.			